

**न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां (राज0)**  
**पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 47/2013

**बउनवान**

राज0 सरकार जर्ये पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां (राज.)  
(निगराकार)

**बनाम**

1. शम्भूदयाल पुत्र श्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम भटेड़िया ग्राम पंचायत मऊ, पंचायत समिति अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत मऊ जर्ये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.) (गैरनिगराकारान)

**निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994**

**बाबत निरस्त किये जाने पट्टा**

उपस्थिति :- 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)  
2. श्री संजय नागर अभिभाषक (गैर निग. क्रम 1)

**निर्णय दिनांक 01.06.2022**

निगराकार द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत मऊ ने दिनांक 03.08.2004 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 213 व 214 प्रत्येक साइज 80X30 कुल क्षेत्रफल 4800 वर्गफीट का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किये हैं जो नियम विरुद्ध व अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया उक्त विवादित पट्टा आबादी भूमि में नहीं दिया गया है जबकि ग्राम पंचायत को वैधानिक रूप से आबादी भूमि का ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। गैर आबादी भूमि (चारागाह, सिवायचक, रास्ता, निजी खातेदारी, बाड़ा इत्यादि) में पट्टा जारी किया जाना पूर्णतया अवैधानिक कृत्य है। संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग ने ग्राम पंचायत मऊ की वर्ष 2003-04 में की गयी अंकेक्षण जांच में वर्ष 2001 से 2004 तक जारी पट्टों बाबत आक्षेप गठित किया गया था। इस बाबत संभागीय स्तर की प्रशासनिक समिति में लिये गये निर्णयानुसार लेखाधिकारी जिला परिषद् बारां एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति अन्ता द्वारा जांच की गई जिसमें भी उक्त पट्टे आबादी भूमि में जारी करना नहीं पाया जाता है। फलतः उक्त पट्टे निरस्त होने योग्य है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 03.08.2004 को जारी पट्टा संख्या 213 व 214 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकार क्रम 1 तलब

गैर निगराकार क्रम 1 व 2 जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुये। परन्तु गैर निगराकार क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ। अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। प्रकरण के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से वर्तमान मौका



जिला कलेक्टर  
बारां (राज0)

स्थिति की रिपोर्ट तलब की। उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के पत्र क्रमांक 202 दिनांक 14.09.2021 से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैर निगराकार क्रम 1 को जिस भूमि का पट्टा जारी किया गया है उसकी किस्म माल 1 व गै.मु. आबादी है।

हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया। दौराने बहस अभिभाषक गैर निगराकार क्रम 1 अनुपस्थित रहे। गैर निगराकार क्रम 2 के अभिभाषक की मृत्यु हो जाने से गैर निगराकार क्रम 2 को पुनः तलब किया गया जिस पर गैर निगराकार क्रम 2 की ओर से प्रतिनिधि दिनांक 05.01.2022 को उपस्थित हुये परन्तु इसके पश्चात बावजूद सूचना गैर निगराकार क्रम 2 अनुपस्थित रहे।

हमने एकपक्षीय बहस उपस्थित अभिभाषक निगराकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक निगराकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टे गै.मु. आबादी के साथ साथ माल 1 की भूमि के है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टे क्रमांक 213 व 214 दिनांक 03.08.2004 निरस्त फरमाये जावें।

हमने एकपक्षीय बहस निगराकार पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का आबादी भूमि का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को गै.मु. आबादी के साथ साथ माल 1 की भूमि के दो पट्टे जारी किये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टे जारी किये गये हैं, वह अनुचित तरीके से नियम विरुद्ध जारी किये गये हैं।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत मऊ द्वारा गैरनिगराकार क्रम-1 श्री शम्भूदयाल पुत्र श्री जगन्नाथ धाकड़ को जारी पट्टे क्रमांक 213 व 214 दिनांक 03.08.2004 निरस्त किये जाते हैं। पट्टेधारी को उक्त पट्टों पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलेक्टर, बारा